



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1231 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1231

विषय / Sub : फ्लूरोसिलिकोन बेस रबड़ काम्पाउंड पी एफ एस-1
Fluorosilicon Base Rubber Compound PFS – 1

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स पोलिमेर एंटरप्राइसेस, ई-41, एमआईडीसी, सतपुर, नासिक- 422 007, द्वारा विकसित तथा उत्पादित " फ्लूरोसिलिकोन बेस रबड़ काम्पाउंड पी एफ एस-1" संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1231, दिनांक 21 नवंबर 2006, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1231 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1231/1आर, दिनांक 21 फरवरी 2012 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Fluorosilicon Base Rubber Compound PFS-1", developed and manufactured by M/s Polymer Enterprises, E – 41, MIDC, Satpur, Nasik – 422 007 was issued with Type Approval No.:1231 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1231, dated: 21st November 2006. Subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/ TA – 1231/1R, dated: 21st February 2012 and with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 28 फरवरी 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कोरापुट), डी आर डी ओ, सेमिलैक, कोरापुट, सूनाबेडा- 763 002, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st March 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 28th February 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), DRDO, CEMILAC, Koraput SUNABEDA – 763 002, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1231, दिनांक 21 नवंबर 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1231, dated: 21st November 2006.


“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1231/2R
दिनांक / Date : 24 March 2017
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856


(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')
स्थानामन्त मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)
Offg.Chief Executive (Airworthiness)

